आयुक्त राज्य कर (वाणिज्य कर विभाग)

आदेश संख्या 3031 / जी०एस०टी०-विधि / वाणि०कर / 2017

देहरादूनःः दिनांक 21 सितम्बर, 2017

आदेश

विषयः उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 के अधीन प्ररूप जी0एस0टी0 टीआरएएन—1 में घोषणा दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाए जाने विषयक।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 सपिटत उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै, आयुक्त, एतद्द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, प्ररूप जी०एस०टी० टीआरएएन—1 में घोषणा दाखिल करने की तिथि, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 तक बढ़ाता हूँ।

> (अमित सिंह नेगी) आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड।

1

Commissioner State Tax Uttarakhand (Commercial Tax Department)

No: 3031 /CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18 Dehradun:: Dated::21 September, 2017

ORDER

Subject: Extension of time limit for submitting the declaration in FORM GST TRAN-1 under rule 117 of the Uttarakhand Goods and Service Tax Rules, 2017.

In exercise of the powers conferred by rule 117 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the period for submitting the declaration in **FORM GST TRAN-1** till 31st October, 2017.

(Amit Singh Negi)
Commissioner State Tax
Uttarakhand